राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–674/2025

विद्या देवी

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पूनिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर सबसेंटर बास पुरिया, ब्लॉक मण्डावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण पीएचसी कालावास, रामगढ, पचवारा, दौसा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनैतिक कारणों से किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलाार्थी के पति राजकीय सेवा में झुंझुनू जिले में ही कार्यरत है। ऐसे में सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने पर उन्हें यथासंभव एक ही स्थान पर कार्यरत रखा जाना चाहिए
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2007 से कार्यरत है और झुंझुनू जिले में वर्ष 2003 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक पदस्थापित रखे जाने के पश्चात अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह भी प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण दुर्भावनापूर्वक किया गया हो। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष